दिशानिर्देश

अनुसंधान अवार्ड

ग्यारहवीं योजना

(2007–2012)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली – 110 002

वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

11वीं योजना के दिशा–निर्देश
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अनुसन्धान एवार्ड

1. प्रस्तावना

इस पुरस्कार के लिए ऐसे अध्यापकों को विचाराधीन रखा जाता है जिन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र में शोध डिग्री प्राप्त कर ली है और जिन्होंने उस क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। यह शोध पुरस्कार केवल मात्र उन्हीं प्राध्यापकों, वरिष्ठ प्राध्यापकों एवं प्रवर–कोटि प्राध्यापकों के लिए हैं अथवा उन रीडरों एवं प्रोफेसरों के लिए जो कि किसी भी मान्य संस्थान में स्थायी पदों पर निरन्तर सेवारत हैं और जो कि 45 वर्ष से कम आयु वाले हैं उस समय पर जब कि वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर रहे हों। महिलाओं के बारे में अथवा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग(नॉन क्रीमी लेयर) शारीरिक अपंग, अल्पसंख्यकों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष होगी। पुरस्कार विजेता, इस शोध पुरस्कार का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त कर सकेगा।

2. लक्ष्य

इस योजना का लक्ष्य ऐसे प्राध्यापकों को सुअवसर प्रदान करना है – जो कि नियमित एवं स्थायी पदों पर विश्वविद्यालयों/संस्थानों में नियुक्त हैं जहाँ वे अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में, अनुसंधान कार्य में, बिना किसी भी शोध मार्गदर्शन सहायता के – कम से कम दो वर्षों से शोध कार्य में रत हों। किन्हीं मामलों में अपवाद स्वरूप से, शोध पुरस्कार की अवधि में एक वर्ष की बढ़ोत्तरी करने का प्रावधान रखा गया है जो कि विषय विशेषज्ञ की अनुशंसा पर आधारित होगा। प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत जो कुल स्थान उपलब्ध रहेंगे–उनकी कुल संख्या 100 रहेगी।

एवार्ड प्राप्तकर्ता अपने–अपने क्रमिक अध्यापन एवं शोध क्षेत्रों के संसर्ग में रहें इसके लिए वे अध्यापन कक्षाएँ/अध्यापन को अपने कार्य स्थल/एवार्ड वाले संस्थान में बिना अतिरिक्त मानदेय के लेते रहें। अध्यापन की ऐसी अवधि इस एवार्ड की कुल कालावधि में सम्मिलित मानी जाएगी।

3. लक्ष्य समूह/पात्रता

इस एवार्ड के अन्तर्गत, नियमित रूप से नियुक्त स्थायी अध्यापक जिनके पास शोध कार्य डिग्री है और जिन्होंने शोध कार्य में अभिरूचि दिखायी है – वे इसके अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं। उन अध्यापकों द्वारा प्रतिष्ठित/उल्लिखित पत्रिकाओं में अपने प्रथम/लेख छपवाए गए हों और जिन्होंने सम्पादकीय बोर्डों में योगदान किया हो अथवा राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागी रूप में शोध कार्य किया हो अथवा उद्योगों/राष्ट्रीय संगठनों एवं ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य किया हो जो संस्थान यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2(एफ) एवं 12(बी) के अंतर्गत मान्य है। आवेदक के पास पी.एच.डी. डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

जैसा कि उपरोक्त संकेत दिया जा चुका है, ऐसे प्राध्यापक, वरिष्ठ प्राध्यापक एवं चयनित कोटि वाले प्राध्यापक, रीडर एवं प्रोफेसर–जिन्हें एवार्ड के लिए अन्तिम रूप से चुना गया है–वे सभी सीमित/न्यूनतम रूप से कक्षाओं में अध्यापन कार्य कर सकते हैं। वैसे, अपने एवार्ड की अवधि के दौरान अन्य किसी भी निर्धारित कार्य को चाहे वह वैतनिक हो/अवैतनिक हो–को स्वीकार करने के लिए उन पर प्रतिबन्ध रहेगा।

4. योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रविधि

विश्वविद्यालय अनुदानआयोग द्वारा इन एवार्डों के लिए जो आवेदन मँगाये जाएंगे, उनके लिए रोजगार समाचार में संक्षिप्त अधिसूचना दी जाएगी–और इसके साथ ही, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में संक्षिप्त अधिसूचनाएँ दी जाएंगी और विश्वविद्यालयों को यह परिचालित किया जाएगा। प्रत्याशी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपना आवेदन (द्विगुणित प्रतिलिपि) में विहित प्रोफोर्मा में भेजें–(संलग्नक–I) तथा इसके साथ ही अपनी सर्वोत्कृष्ट प्रकाशन/शोध प्रपत्र की दो प्रतिलिपियाँ अपने आवेदन के साथ भेजें–जिनको वह आवेदक अपने विचार से सबसे श्रेष्ठ मानता हो/मानती हो। आवेदन फार्म, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा अनुशंसित एवं प्राधिकृत होना चाहिए तथा रजिस्ट्रार/मुख्याध्यापक द्वारा इसी रूप में हो – उस आवेदन को, संयुक्त सचिव, चयन एवं पुरस्कार ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 को प्रेषित किया जाए।

ऐसे आवेदन जो या तो अधूरे हैं (किसी भी रूप में) या जो प्रत्यक्ष तौर से भेजे गए हैं–अथवा ऐसे आवेदन जो कि अन्तिम नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए हैं–वे विचाराधीन नहीं होंगे।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन की विधि

शोध पुरस्कार को प्रदान किया जाना–यह प्रक्रिया यू.जी.सी. द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा–जो समिति, चयनित सूची में रखें गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार भी करेगी। आयोग को इस बात का अधिकार रहेगा कि किसी एवार्ड को वापिस ले ले अथवा उसे निरस्त कर दें–जिसके लिए वह किसी भी कारण को बतानेका उत्तरदायी भी नहीं होगा।

6. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता का स्वरूप

इस योजना के अन्तर्गत जो आर्थिक सहायता उपलबध है–वह निम्न प्रकार से है :–

- एवार्ड प्राप्तकर्ता को जो भी स्वीकार्य वेतन एवं भत्ते मिल रहे होंगे उनकी सबकी आदायगी उसी संस्थान को की जाएगी, जहाँ पर वह एवार्ड प्राप्तकर्ता अपना एवार्ड कार्यान्वित कर रहा है–अलावा अंशदायी भविष्य निधि योगदान के – क्योंकि यह समस्त, मूल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।
- एवार्ड की समस्त अवधि के दौरान, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, रसायनों एवं उपस्करों पर होने वाले व्यय के लिए जो शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा, वह इस प्रकार

है : (i) मानविकी एवं समाजिक विज्ञान–रुपये 2.00 लाख (ii) विज्ञान/प्राकृतिक विज्ञान/इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी रुपये 3.00 लाख।

- एवार्ड प्राप्तकर्ता शोध अवधि के दौरान अवकाश पर रहने पर भी, वह अपनी सामान्य वेतन वृद्धि को प्राप्त करेगा और अपने प्रधान संस्थान/विश्वविद्यालय में अपनी वरीयता को संरक्षित रखेगा/रखेगी।
- साथ ही, विश्वविद्यालय/संस्थान में जो उसका अधिकार है, उसके अनुसार वह समस्त छुट्टियों एवं अन्य सभी अन्य सुविधाओं आदि की हकदार/का अधिकारी होगा–जिन सुविधाओं में स्टाफ क्वार्टर्ज़/चिकित्सा सुविधाएं/चिकित्सा सहायता–जिनकी उस एवार्ड के दौरान जरूरी होगी–यह सभी शामिल हैं।
- देश के भीतर यदि अनुसंधानकार्य करने के लिए यदि कहीं यात्रा करनी पड़ती है तो उसके लिए होने वाला व्यय, अनुसंधान अनुदान में से ही व्यवस्थित कियाजाएगा। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- एवार्ड प्राप्तकर्ता के शोध कार्य से संबद्ध यदि कोई विदेशी यात्रा की जानी है, तो ऐसी यात्रा वर्ष में एक बार तक सीमित होगी तथा इसके लिए उस विश्वविद्यालय/संस्थान की पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जहाँ पर यह योजना से संबद्ध कार्य किया जा रहा है और साथ ही इसी आशय की पूर्वअनुमति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त करनी भी अनिवार्य होगी। और इसके साथ ही आयोग का कोई भी वित्तीय दायित्व नहीं होगा।
- संबद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा गठित चयन समिति, यदि किसी परियोजना सहायक को नियुक्त करती है, तो इस आशय का व्यय सर्वाधिक रुपये 5000.00 प्रतिमाह तक मात्र उस एवार्ड की कालावधि के लिए होगा तथा यह राशि उस एवार्ड की शोध राशि में से ही समायोजित की जाएगी। ऐसे परियोजना सहायक की कार्यावधि, उस शोध एवार्ड अवधि के साथ–साथ ही सम्पूर्ण होगी।
- यदि उस एवार्ड प्राप्तकर्ता के स्थान पर कोई प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उस दशा में आयोग द्वारा उस प्रतिनियुक्त व्यक्ति के वेतन के लिए कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

7. आयोग द्वारा अनुदान जारी किए जाने की विधि

एवार्ड प्राप्तकर्ता की कार्यग्रहण रिपोर्ट मिल जाने पर, (संलग्नक–II) उस एवार्ड प्राप्तकर्ता के अधिकार के अनुसार और उसके संस्थान के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुल शोध राशि जो कि आबंटित की गई है – उसका एक तिहाई भाग जारी करेगा तथा इसके साथ ही उस एवार्ड प्राप्तकर्ता को संस्थान के नियमानुसार जो भी वेतन भत्तों का हक होगा – उसकी एक वर्ष की राशि भी अनुदान के रूप में जारी की जाएगी जो कि उस विद्वान को देय होगी। इस परियोजना की शेष अवधि के लिए हो शेष अनुदान जारी किया जाएगा–वह न्यायसंगत रूप में, केवल व्यय से जुड़े ब्यौरे एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र पाने की स्थिति में ही वह शेष अनुदान जारी किया जाएगा।

अन्तिम तौर से उस विश्वविद्यालय/संस्थान से एक लेखापरिक्षीत व्ययों का विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए, (जो अन्तरिम रूप से अधिकृत लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित हो–यदि वह शासकीय कॉलेज है तो, तथा वैधानिक लेखा परीक्षा प्राधिकरण द्वारा वह बाद में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।)। एवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा जो भी कोई धन संबंधी दावा पेश किया जाए तो वह संबद्ध संस्थान द्वारा अग्रसारित किया जाना चाहिए, जहाँ पर वह एवार्ड प्राप्तकर्ता कार्यरत है।

8. योजना प्रति की जाँच प्रक्रिया

प्रोजेक्ट आरम्भ होने के 12 से 15 माह के भीतर, एवार्ड प्राप्तकर्ता अपने अनुसंधान कार्य की मध्यावधि रिपोर्ट, विभागाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कॉलेज के प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति, मध्यावधि मूल्यांकन तथा यदि आवश्यक समझा जाएगा तो सुधार आदि के लिए विचार करेगी। यदि अनुसंधान कार्य की स्थिति असंतोषजनक पाई जाती है तो उस एवार्ड को आगे जारी नहीं रखा जाएगा। एवार्ड पूरा होने पर उस प्रोजेक्ट की अन्तिम रिपोर्ट की एक प्रति एवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

समेकित रिपोर्ट के अंतर्गत, एवार्ड प्राप्तकर्ता के द्वारा वे समस्त लक्ष्य आरेखित किए जाने चाहिए, जिन्हें निर्धारित किया गया था और जिन लक्ष्यों को उपलब्ध किया जा चुका है उनका भी विस्तार दिया जाना चाहिए और अनुसंधान निष्कर्षों के संभावित अनुप्रयोगों एवं उस उपयोग कर्ता एजेन्सी/संगठन एवं उद्योग–जो कि अनुसंधान का लाभ उठा सकता है–उसके नाम सहित निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त लक्ष्यों का विवरण अवश्य दें।

एवार्ड प्राप्तकर्ता, अपने शोधप्रकाशन में यह भी उल्लेख करेगा कि अनुसंधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोध योजना के अंतर्गत प्रयोजित किया गया है। अन्तिम रिपोर्ट की प्रतियाँ, उस विश्वविद्यालय/संस्थान के पुस्तकालय में रखी जाएंगी जहाँ एवार्ड प्राप्तकर्ता ने कार्य किया है। तथापि, तीन वर्ष की कुल अवधि से अधिक समय बढ़ाने की अनुमति नहीं है और इस तिथि के समाप्त होने के साथ ही, एवार्ड प्राप्तकर्ता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुसंधान एवार्ड प्राप्तकर्ता नहीं रहेगा। इस संबंध में कोई भी दावा/संदर्भ, गैर कानूनी होगा और व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकती है।

आरक्षण

आयोग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा।

10. अन्य शर्तें

एवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा अनुसंधान के लिए चुने गए प्रस्तावित स्थान – जिसका उल्लेख उन्होंने अपने आवेदन में किया है – को बाद में किसी चरण में बदलने की अनुमति नहीं होगी। एवार्ड प्राप्तकर्ता, अनुसंधान अनुदान का उपयोग, भारत के भीतर यात्रा करने के लिए, विश्वविद्यालय/कॉलेज के नियमानुसार कर सकता है।

तीन वर्षों की अवधि के दौरान, छः माह की छुट्टी लेने का अधिकार होगा, जिसे, भारत में अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। छुट्टी के दौरान एवार्ड प्राप्तकर्ता को वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। छुट्टी की अवधि की गणना, एवार्ड की कुल अवधि में की जाएगी।

एवार्ड प्राप्तकर्ता, यथा आवश्यक, पुस्तकों, पत्रिकाओं, स्टेशनरी मदों और उपकरणों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित) आदि की खरीद के लिए अनुदान का उपयोग करने का तरीका, स्वयं ही निर्धारित करेगा। विश्वविद्यालय/कॉलेज के लेखा परीक्षक, उपर्युक्त मदों पर किए गए व्यय की गणना, किसी अन्य विभागीय व्यय के समान करेंगे और उसकी लेखा परीक्षा करेंगे। एवार्ड पूर्ण होने/समाप्त किए जाने पर इस अनुदान से खरीदी गईं पुस्तकें, पत्रिकाएं ओर उपकरण, उस संबद्ध विभाग की सम्पत्ति बन जाएंगे।

उपकरणों की खरीद के लिए धनराशि एक किश्त में संस्वीकृत की जाएगी। शोध अनुदान में से किसी भी उपकरण का आयात करने की अनुमति नहीं है। तथापि, विदेश के किसी अभिकरण द्वारा किसी उपकरण का स्वैच्छिक दान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमति से भारत सरकार के नियमों के तहत शासित होगा।

11. एवार्ड को रद्द करना :

अध्येतावृत्ति निम्न स्थितियों में रद्द किए जाने की संभावना हैः–

- कदाचार
- अनुसंधान कार्य की असन्तोषजनक प्रगति
- यदि उम्मीदवार को बाद में अपात्र पाया जाए।

अनुबंध – एक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
शोध अवार्ड के लिए आवेदन प्राप्त
(अभ्यर्थी द्वारा मोटे अक्षरों में भरा जाए)

भाग क

1. विश्वविद्यालय/कॉलेज (पेरेंट सगंठन) :

2. क्या
(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत स्वीकृत हैः
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत स्वीकृत हैः

3. आवदेक का नाम : डा./प्रोफेसर

4. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से संबंधित हैं (अनुसूचित जाति के लिए –1, अनुसूचित जनजाति के लिए – 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए –3, शारीरिक रूप से विकलांग के लिए – 4 लिखें) :

(उपर्युक्त श्रेणी पर निशान लगाएं और तत्संबंधी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

5. जन्म तिथि :

6. विभाग का नाम :

क. पदनाम : नियुक्ति की तारीखः
ख. कॉलेज का नाम
ग. कॉलेज जिस विश्वविद्यालय के अधीन है उसका नाम :
घ. टेलीफोनः फैक्सः

7. पत्राचार का पता :

पिनः टेलीफोन/फैक्स सं.

8. स्थायी पता :

पिनः टेलीफोन/फैक्स सं.

9. अनुभव :
(क) अनुसंधानः
(ख) शिक्षणः

10. विशेषज्ञता का विषय क्षेत्र :

11. शैक्षणिक योग्यता :

डिग्री	वर्ष	विश्वविद्यालय/कॉलेज	अंको का प्रतिशत	प्रभाग
बी.ए./बी.एस.सी.				
एम.ए./एम.एस.सी.				
पी.एच.डी.				
डी.लिट				
डी.एस.सीत्र				

(डिग्रियों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

12. अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से अन्य भारत में या विदेश में प्रस्तावित विषय के लिए किया गया कोई अन्य अध्ययन/अनुसंधान

13. प्रकाशित पत्रों की संख्या
(क) विदेशी पत्रिकाओं में :
(ख) भारतीय पत्रिकाओं में :
(ग) पुस्तकों की संख्या यदि कोई हो :
(घ) प्रकाशनाधीन पत्रों/पुस्तकों की संख्या, यदि कोई हों :

भाग ख

1. विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज का नाम, जहां प्रस्तावित प्रोजेक्ट कार्य किया जाना हैः

विभाग का नाम :

2. क्या संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत आता है?

3. प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण

(क) विषय
(ख) प्रोजेक्ट का शीर्षक (मोटे अक्षरों में)
(ग) प्रोजेक्ट का सार जिसमें निम्न बातें दर्शायी गई हों :

(एक) समस्या जिसकी जांच की जानी है :
(दो) प्रोजेक्ट का उद्देश्य :
(तीन) अवधारणा :
(चार) शोध अभिकल्प और कार्यविधि :
(पांच) प्रोजेक्ट के लिए आश्वयक उपकरणों आदि का विवरण :
(छः) प्रोजेक्ट का शैक्षिणिक महत्व :
(सात) वर्तमान समय की समस्याओं से प्रासंगिकता :
(आठ) समाज/देश की आवश्यकताओं से प्रासंगिकता :
(नौ) ज्ञान में इसका संभावित योगदान :

4. क्या आपकी जानकारी में देश के किसी अन्य संस्थान में इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर कार्य हो रहा है? यदि ऐसा है, तो इस संबंध में ऐसे कार्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए तथा यदि इस संबंध में आपको कोई जानकारी नहीं है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपका क्या उपाय करने का प्रस्ताव है , टिप्पणी संलग्न है ।

5. कृपया दर्शाएं कि यदि आपका चयन अंततः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है तो आप जानते हैं कि बाद के चरणों में कार्य स्थान बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. कृपया दर्शाए कि क्या आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण को कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया है/लाभ उठाया हैः

वर्ष	प्राप्तराशि	पूरा होने की तारीख

7. इस प्रोजेक्ट के संबंध में अकादमिक/तकनीकी प्रकृति की कोई भी अन्य जानकारी जो आप इस आवेदन के समर्थन में प्रदान करना चाहें ।

आवेदक की घोषणा

मैं, डा.....डाक्टरेट ऑफ फिलोसफी(पीएचडी) डिग्री धारक हूं और अब ..... से .....स्थायी शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूं .

मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज में इस प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध आम सुविधाएं जैसे फर्नीचर, अध्ययन स्थान और लायब्रेरी सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं ।

यदि मुझे उपर्युक्त प्रोजेक्ट के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्रदान की जाती है तो मै इस योजना के नियमों का पालन करूंगा ।

मैं निर्धारित अवधि में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा/करूंगी और यदि मैं ऐसा करने में असफल रहता हूं/रहती हूं यदि शोध कार्य की प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है तो आयोग प्रोजेक्ट को तत्काल समाप्त कर सकता है और आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा पुनर्भुगतान किए जाएंगें ।

यदि मैं तथ्यों की गलत घोषणा करता/करती हूं या कोई बात छुपाता/छुपाती हूं तो आयोग द्वारा मेरे प्रति जो भी निषेधात्मक कार्यवाही आवश्यक समझी जाए की जा सकेगी ।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक सहित

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज द्वारा घोषणा

डा0.....जिन्होंने शोध अवार्ड योजना के लिए आवेदन किया है..... .....में.....से कार्य कर रहे हैं । यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें अवार्ड अवधि के लिए शिक्षण दायित्वों से मुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज की नियुक्ति की शर्तों के तहत उनकी वरिष्ठता और उन्हें उपलब्ध अन्य लाभ पाने के पात्र होगें ।

आवेदक द्वारा आरंभ में चुने गए कार्य स्थान को बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

.....

पंजीयक/प्रधानाचार्य/निदेशक के हस्ताक्षर

.....

कार्यालय की मुहर दिनांक सहित

अनुबंध – दो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
चयन तथा अवार्ड ब्यूरो
साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय
बेनितो जुआरेज़ मार्ग
नई दिल्ली – 110 021

कार्य ग्रहण रिपोर्ट

अवार्ड प्राप्तकर्ता का नाम :

अवार्ड पत्र की संख्या तथा तारीख :

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपर्युक्त योजना के अंतर्गत .....ने .....विभाग में तारीख..... (पूर्वाहन/अपराह्न)से कार्यग्रहण कर लिया । इस कार्यकाल के दौरान उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अध्येतावृत्ति ग्रहण करने के पश्चात् किसी अन्य स्रोत से परिलब्धियां ग्रहण नहीं करेगा । .....अवधि के लिए उनकी अध्येतावृत्ति के लिए कुल देय राशि.....होगी.

पंजीयक/प्रधानाचार्य

विश्वविद्यालय/संस्थान : (मुहर सहित)

अनुबंध – तीन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
चयन तथा अवार्ड ब्यूरो
साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय
बेनितो जुआरेज़ मार्ग
नई दिल्ली – 110 021

आकस्मिकता अनुदान का लेखा तथा उपयोग प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

1. अवार्डप्राप्तकर्ता का नाम :

2. कूट संख्या :

3. योजना का नाम जिसके अंतर्गत : वह कार्य कर रहा है/रही हैं

4. अवधि जिससे आकस्मिकता अनुदान का लेखा संबंधित है :

5. किया गया व्यय : ..... से .....तक
राशि ..... दिनांक.....

(ख) शोध कार्मिक
(ग) पुस्तकें तथा संबंधित मदें
(घ) टंकण (अनुरेखण तथा अमोनिया मुद्रण)
(ड़) लेखन सामग्री
(च) डाक व्यय
(छ) रसायन तथा बिजली का सामान

6. अवधि जिसके लिए आकस्मिकता अनुदान देय हैः

प्रमाणित किया जाता है कि..... के लिए आयोग के पत्र संख्या–एफ ..... दिनांक ..... के अनुसार संस्वीकृत आकस्मिकता अनुदान के रूपये .....(रूपये .....) का व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित शर्तों के अनुसार उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था। यदि जांच या लेखा परीक्षा आपत्ति के परिणाम स्वरूप बाद में किसी समय कोई अनियमितता पाई जाती हैं तो आपत्ति गत राशि को वापस, समायोजित या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

अवार्डप्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष
पंजीयक/प्रधानाचार्य

अनुबंध – चार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्रगति रिपोर्ट

1. अवार्ड प्राप्तकर्ता का नाम :

2. अवार्ड पत्र संख्या तथा तारीख :

3. शोध का विषय :

4. क्या अवार्डप्राप्तकर्ता इस विषय पर डॉक्टरेट डिग्री पाने के लिए कार्य कर रहा है (हां/नहीं)?

5. अवधि के दौरान कुल कार्य दिवसों की संख्या :

6. उन दिनों की संख्या जब अध्येता अवकाश पर रहा (तारीख सहित)

(क) अध्येतावृत्ति सहित दिनों की संख्या
..... से .....तक
अध्येतावृत्ति के बिना ..... से .....तक

7. उन दिनों की संख्या जब अवार्डप्राप्तकर्ता क्षेत्रकार्य यात्रा के लिए स्टेशन से बाहर रहा, तारीख तथा स्थान का नाम जहां का दौरा किया

8. उन दिनों की संख्या जब अवार्डप्राप्तकर्ता विश्वविद्यालय/कॉलेज में उपस्थित रहा :

9. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रकाशन (कृपया प्रत्येक का रिप्रिंट संलग्न करें)
(क) लेख/पेपर का शीर्षक
(ख)

10. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लिखे गए मोनोग्राफ का शीर्षक :

11. अवधि के दौरान किए गए कार्य का विस्तृत लेखा :
(इसके लिए अलग से कागज़ संलग्न करें)

अवार्डप्राप्तकर्ता **विभागाध्यक्ष** **रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य**
(मुहर सहित) **(मुहर सहित)**

इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार के लिए कृपया आयोग की पत्र संख्या और तारीख का उल्लेख अवश्य करें ।

शोध कार्मिकों का विवरण और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संस्वीकृति पत्र की संख्या.....
दिनांक

पदनाम और वेतनमान	संस्वीकृत पदों की संख्या	की गई नियुक्तियों की संख्या	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम योग्यता सहित	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति के समय आरंभिक वेतनमान	अवधि के दौरान वास्तविक व्यय	के लिए अनुमानित व्यय

कुल.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्तियां/अवार्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवम् शर्तों के अनुसार ही किए गए है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि व्यय विवरण में दर्शाया गया व्यय, किसी अन्य योजना के लिए व्यय नहीं किया जा रहा ।

प्रधानाचार्य / कुलसचिव के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
चयन तथा अवार्ड ब्यूरो
साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय
बेनितो जुआरेज़ मार्ग
नई दिल्ली – 110 021

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .....योजना के तहत प्रो./डा. .... के लिए पत्र सं..... दिनांक..... के माध्यम से संस्वीकृत .....रूपये (रूपये.....) के अनुदान में से ..... रूपये (रूपये.....) की राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उसी उद्देश्य के लिए व्यय की गई है जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी । .....रू0 की व्यय न हुई राशि आगे ले गई है/रू0..... ..... के डिमांड ड्राफ्ट सं. ..... दिनांक ..... के माध्यम से लौटा दी गई है।

यदि बाद में जांच या लेखा परीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्ति की गई राशि के पुनर्भुगतान/समायोजन/या नियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

पर्यवेक्षक (मुहर सहित)	विभागाध्यक्ष (मुहर सहित)	कुलसचिव/प्रधानाचार्य (मुहर सहित)

टिप्पणीः इस संबंध में किसी प्रकार के पत्राचार के लिए कृपया आयोग की पत्र संख्या तथा दिनांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें ।